

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

क्रमांक एफ ए 3-23/2017/1/पांच (50)

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 10 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, माल और सेवा कर परिषद की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा, यह विहित करती है कि ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल टर्न ओवर पचहत्तर लाख रूपए से अधिक नहीं रहा है, उसके द्वारा देय राज्य कर के बदले में, उक्त उप-धारा के अधीन विहित दर पर संगणित रकम के संदाय के विकल्प का चयन कर सकेगा।

2. यह अधिसूचना 27 जून, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3-23/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-23/2017/1/पांच (50), दिनांक 30 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

## NOTIFICATION

Bhopal, Dated : 30/06/2017

No. F A 3-23/2017/1/FIVE(50)

In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, on the recommendation of the G.S.T. Council, hereby, prescribes that registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed seventy five lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the State tax payable by him, an amount calculated at the rate, prescribed under the said sub-section.

2. This notification shall deemed to have come into force from 27<sup>th</sup> June, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.